अनुलग्नक-12

दिनांक: 6 जुलाई, 2026

सेवा में,
प्रबंधक,
लिस्टिंग विभाग,
द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
स्क्रिप कोड: आरईसी लिमिटेड

महोदय/ महोदया,

विषय: सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/मुख्या/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/93 दिनांक 20 जून, 2023 ('सेबी मास्टर परिपत्र') के अनुसार प्रारूप योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत आरईसी लिमिटेड ("**स्थानांतरणकर्ता कंपनी/कंपनी**") और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("**हस्तांतरिती कंपनी**") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य विलय की प्रारूप योजना, किसी भी रूप में प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों या स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकताओं का उल्लंघन, अधिरोहण अथवा उन्हें सीमित नहीं करती है, तथा यह योजना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("**एलओडीआर**") के लागू प्रावधानों और समय-समय पर यथा-संशोधित सेबी मास्टर परिपत्र एवं उसके किसी भी संशोधन के अनुपालन में है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	संदर्भ	विवरण	टिप्पणियां
1.	एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से संदर्भ 27	निगमीय शासन संबंधी आवश्यकताएं	विनियम 17 को छोड़कर अनुपालन किया गया है। वर्तमान में, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है। आरईसी एक सरकारी कंपनी है और आरईसी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के खंड 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।
2.	एलओडीआर विनियमों का विनियम 11	प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन	अनुपालन किया गया।
इस परिपत्र की आवश्यकताएँ			
(क)	पैरा (1)(क))(2)	स्टॉक एक्सचेंजों को दस्तावेज़ जमा करना	अनुपालन किया गया।

(ख)	पैरा (1)(क,)(3)	गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं से जुड़ी व्यवस्था की योजनाओं के लिए शर्तें	लागू नहीं, क्योंकि योजना में केवल सूचीबद्ध संस्थाएं शामिल हैं।
(ग)	पैरा (I) (क) (4) (क)	मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करना	अनुपालन किया गया
(घ)	पैरा (I)(क)(5)	लेखांकन मानकों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	अनुपालन किया गया
(ङ)	पैरा (I)(क)(10)	ई-वोटिंग के माध्यम से सार्वजनिक शेयरधारकों की स्वीकृति का प्रावधान	लागू कंपनी सार्वजनिक शेयरधारकों को ई-वोटिंग के प्रावधान का पालन करेगी जैसा कि सेबी मास्टर परिपत्र, कंपनी अधिनियम, 2023 और एलओडीआर के लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानांतरणकर्ता कंपनी और स्थानांतरी कंपनी को शामिल करने वाली व्यवस्था की प्रारूप योजना में उपबंधित लेनदेन/लेखांकन उपचार, कंपनी पर लागू सभी लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं।

(राजेश कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 6 जुलाई, 2026